

उत्तराखण्ड शासन

सूचना अनुभाग-02

संख्या- 74 /XXII(2)/18-2(5) 2015

देहरादून, दिनांक: 09 फरवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

सूचना अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-61/XXII(2)/2018-34(सूचना)2003 टी.सी.II, दिनांक 07 फरवरी, 2018, "उत्तराखण्ड फिल्म नीति-2015" के प्रस्तर-19(1) के क्रम में शासनादेश संख्या:-261/XXII/2016-2(5)2015, दिनांक 26 अगस्त 2016, शासनादेश संख्या:-340/XXII/2016-2(5)2015, दिनांक 09 दिसम्बर 2016 एवं शासनादेश संख्या:-05/XXII/17-2(5)2015, दिनांक 04 जनवरी 2017 द्वारा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद में नामित गैर सरकारी उपाध्यक्षों एवं सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।

9/2/18

(डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)।

संख्या: 74 /XXII(2)/18-2(5) 2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
3. आयुक्त कुमार्ज/गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी।
5. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित महानुभावों को महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रेषित।
8. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
9. मार्ट फाइल।

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
संयुक्त सचिव।